पशु चिकित्सक के पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें

छत्तीसगढ़ वन विभाग में पशु चिकित्सक (संविदा) के पद पर नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों की भरती का मांग पत्र :–

1. **(अ) विज्ञापित किये जाने वाले पद का नाम :–**

	(अ) हिन्दी में	–	पशु चिकित्सक (संविदा)
	(ब) अंग्रेजी में	–	Veterinary physician (Contract)
(ब)	उपर्युक्त पद पर इससे पहले की गई भरती का वर्ष	–	राज्य निर्माण के पश्चात् प्रथम बार भर्ती की जा रही है।
(स)	जिस नियम के अंतर्गत उक्त पद विज्ञापित किया जाना है, उस नियम का स्पष्ट उल्लेख करें।	–	छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम– 2011

2. ***सीधी भरती से भरे जाने वाले उपर्युक्त पदों की संख्या का विवरण :–***

अनारक्षित		अ.पि.व.		अ.ज.जा.		अ.जा.	
मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला
07	02	02	00	04	01	02	00

टीप :– (अ) द्वितीय श्रेणी के पदों में भूतपूर्व सैनिक आरक्षण लागू नहीं होता है।

(ब) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/07/2017 के अनुसार महिला आरक्षण में महिलाओं के लिये आरक्षित पदों की गणना केवल पूर्णांक के अनुसार की जावेगी। दशमलव के अंक मान्य नहीं किये जायेंगे।

(स) चूंकि उक्त पद, वनक्षेत्रपाल के पदों को रिक्त रखते हुए स्वीकृत किया गया है तथा वनक्षेत्रपाल के पद हेतु दिब्यांग आरक्षण को मुक्त रखा गया है साथ ही पशु चिकित्सक का कार्य वनों में वन्य प्राणियों की दुर्गम क्षेत्रों में जाकर भी चिकित्सा एवं देख–भाल है। अतः दिब्यांगों के लिये आरक्षण लागू नहीं किया गया है।

(द) पदों की संख्या में कमी या वृद्धि नहीं होगी।

3.	पद राजपत्रित है या अराजपत्रित तथा उसकी श्रेणी (प्रथम / द्वितीय / तृतीय कार्यपालिक)	–	राजपत्रित द्वितीयश्रेणी(संविदा)
4.	(अ) पदस्थिति	–	संविदा
	(ब) संविदा पद की अवधि	–	प्रथम बार तीन वर्ष के लिये
	(स) क्या पद आगे जारी रहने की संभावना है	–	हाँ(आगामी एक–एक वर्ष के लिये)
5.	(अ) पद के मुख्य कर्त्तव्य	–	वन विभाग में मानव/वन्यप्राणी द्वंद के प्रबंधन तथा वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा इससे संबंधित समस्त प्रकार के कार्य
	(ब) संविदा वेतन	–	₹ 36465/–एकमुश्त
6.	***अनिवार्य अर्हताएं –***		
	(अ) शैक्षणिक	–	भारत या किसी विदेश के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो.

(ब) अनुभव — निरंक

(स) प्रशिक्षण — शर्त में उल्लेख अनुसार

(द) अन्य अर्हता यदि कोई हो तो — निरंक

7. (अ) आयु सीमा एवं दिनांक, जिससे आयु की संगणना की जानी है, यह भरती नियमों के अनुसार दर्शायी जाये। — **न्यूनतम आयु – 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो**
अधिकतम आयु – 30 वर्ष
(चयन के आरंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन के आधार पर की जावेगी)

8. ***निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में ग्राह्य रियायतें दर्शाइये –***

1	छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी एवं अस्थायी शासकीय सेवकों के लिये – यहाँ सा.प्र.वि. के ज्ञापन क्र. – 314 / सी.आर. 102 / 1 / (3) दिनांक 19/4/1973 के अनुसार आयु संबंधी रियायतों का उल्लेख कीजिये।	अधिकतम आयु 38 वर्ष
2	छत्तीसगढ़ शासन के वर्क चार्ज्ड एवं आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उच्चतम आयु में छूट की पात्रता का उल्लेख कीजिए। (सा.प्र.वि. का ज्ञापन क्र. 2998 / सी.आर.–444 / 1 (iii) 63 दिनांक 31/11/1963 के अनुसार	अधिकतम आयु 38 वर्ष
3	सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक – सी / 3–14 / 93 / 3/1 दिनांक 10/5/93 के अनुसार राज्य के निगम / मंडल / परिषद / नगर निगम / पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये आयु संबंधी छूट की पात्रता दर्शाये जाये तथा इस संदर्भ में निगम / मण्डल / परिषद / नगर निगम / पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं की सूची संलग्न करें, जिस पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर हों।	अधिकतम आयु 38 वर्ष
4	स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सैनिकों के नाम कमीशंड अधिकारियों के लिये आयु संबंधी छूट की पात्रता दर्शाई जाये।	अधिकतम आयु 38 वर्ष
5	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये यहाँ सा.प्र.वि. के ज्ञापन क्र. –6678/सी.आर./740–1 दिनांक 19/8/1958 के अनुसार आयु संबंधी रियायतों का उल्लेख कीजिये।	अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट
6	अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिये – यहाँ सा.प्र.वि. (आरक्षित प्रकोष्ठ) के ज्ञापन क्र. एफ 7–26 / 93 / 1 / आ.प्र. दिनांक 20/1/1994 के अनुसार आयु संबंधी रियायतों का उल्लेख कीजिए।	अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट

7	छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी के लिये – यहाँ सा.प्र.वि. के ज्ञापन क्र. 3845–180–1 दिनांक 14/05/1958 के अनुसार आयु संबंधी रियायत का उल्लेख कीजिये।	ऐसा अभ्यार्थी जो छटनी किया गया, शासकीय सेवक हो, उसे अपने आयु में से पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा में से अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी। बशर्ते परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।
8	भूतपूर्व सैनिक के लिये – यहाँ सा.प्र.वि. के ज्ञापन क्र. 410 / 2131 / 1 / (iii) 62 दिनांक 15/2/1962 के अनुसार आयु संबंधी रियायत का उल्लेख कीजिये।	ऐसा अभ्यार्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से, उसके द्वारा पूर्व में की गई प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु से 03 वर्ष अधिक न हो।
9	परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थी के मामले में	अधिकतम आयु सीमा में 02 वर्ष की छूट
10	महिलाओं के लिये – यहाँ मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 07/02/1997 में प्रकाशित नियम ''मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम–1997 के अनुसार आयु संबंधी रियायत का उल्लेख कीजिए –	अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट
11	अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पार्टनर के लिये – यहाँ सा.प्र.वि. के ज्ञापन क्र. – सी–310 / 85 / 3 / 1 दिनांक 29/06/1985 के अनुसार आयु संबंधी रियायत का उल्लेख कीजिये।	अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट
12	छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/एफ 19–2/2005/1–3, दिनांक 01/12/2006 के अनुसार राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंज देव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को आयु संबंधी रियायत का उल्लेख करें।	अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट

13	छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 3–2/2002/1–3/रायपुर दिनांक 16/06/2010 के अनुसार आयु संबंधी रियायत एवं अधिकतम आयु का उल्लेख करें।	अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष एवं छ.ग. के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए 35 वर्ष रखी गई है। विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट यथावत रहेंगी, किन्तु उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गो के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14	अन्य निर्देश	उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में शासन के सा.प्र. वि. द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

9. नियम एवं शर्ते :–

(1) चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ 100 रूपये नान जूडीसियल स्टाम्प संलग्न करार निष्पादित करेगा, करार के निष्पादन पर होने वाले व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किये जायेंगे, चयनित अभ्यर्थी उसके पद स्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संविदा सेवा में माना जायेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी जिसे एक बार मे एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

(2) संविदा पशु चिकित्सक के लिये अनिवार्य होगा कि, वह नियुक्ति आदेश के जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर संविदा नियुक्ति के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करे, उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द हो जायेगी, किसी संविदा पशु चिकित्सक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से नियुक्तिकर्ता अधिकारी को भेजी जावेगी।

(3) संविदा पशु चिकित्सक का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवको के लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा, चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बतायें, तुरन्त रद्द कर दी जावेगी।

(4) प्रथम मास के लिये संविदा रकम प्राप्त करने से पूर्व संविदा पशु चिकित्सक स्वयं अपने खर्च पर जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किये जाने वाला चिकित्सकीय परीक्षण करवायेगा, इस चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैद्य होगी सेवा निवृत्त शासकीय पशु चिकित्सक के लिये भी यदि वह पशु चिकित्सक के रूप में भी नियुक्ति किया जाये तो ऐसा चिकित्सकीय परीक्षण कराना अपेक्षित होगा।

(5) पशु चिकित्सक के लिये पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत तीन माह का प्रशिक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तरांचल/वन्यप्राणी स्वास्थ्य प्रबंधन विभाग, पशु चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में वन्यप्राणी स्वास्थ्य प्रबंधन पर व्यवहारिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा। यह प्रशिक्षण मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा प्रायोजित किया जावेगा। पशु चिकित्सक ऐसे प्रशिक्षण पर भेजने के लिये नियंत्रणकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होगा, संविदा पशु चिकित्सक इस प्रायोजन के लिये निम्नानुसार यात्रा भत्ते के लिये हकदार

होगा। तदापि सेवानिवृत्त पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के लिये भी ऐसा प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

(6) संविदा पशु चिकित्सक की नियुक्ति केवल किसी विशिष्ट संरक्षित क्षेत्र अथवा स्थान के लिये होगा परन्तु मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक आवश्यकतानुसार इनके कार्यक्षेत्र में परिवर्तन कर सकेंगे।

(7) संविदा पशु चिकित्सक एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम पन्द्रह दिन के अवकाश का हकदार होगा, ऐच्छिक अवकाश अधिकतम तीन दिनों के अवकाश का उपभोग कर सकेगा/सकेगी। महिला संविदा पशु चिकित्सक जिसकी दो से कम जीवित संतान हो अधिकतम नब्बे दिनों की कालावधि में प्रसूति अवकाश की हकदार होगी। उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियॉ मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक निहित होगी।

(8) (i) संविदा पर नियुक्त पशु चिकित्सक को शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व रू. 50,000/— (रू. पचास हजार) की प्रतिभूति मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक छ.ग. के नाम जमा करनी होगी।

(ii) यदि संविदा पर नियुक्त पशु चिकित्सक करार अवधि में स्वेच्छा से सेवाएं छोड़कर जाते है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति शासन हित में राजसात कर ली जायेगी।

(9) संविदा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उसकी संविदा कालावधि के लिये किन्ही पेंशन संबंधी प्रसुविधा का हकदार नहीं होगा, उसे ऐसी कालावधि के लिये कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।

(10) संविदा पशु चिकित्सक शासकीय सेवा में नियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगा।

(11) संविदा नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह के संविदा राशि का भुगतान करके समाप्त की जा सकती है, परन्तु प्रारंभिक तीन वर्षो में सेवाएं छोडने की स्थिति में प्रतिभूति की राशि को राजसात किया जायेगा एवं नियुक्त पशु चिकित्सक का नाम विभाग में आगामी नियुक्ति हेतु काली सूची में रखा जा सकेगा।

(12) अन्य सेवा शर्ते ऐसी होगी जैसे कि नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा./अराज.)
छत्तीसगढ़, नया रायपुर